Issue - 1

Volume - 1 April - June, 2013

Rajasthan Police Academy

News Letter

इस अंक में ...

- राजस्थान इन्टेलीजेन्स प्रशिक्षण अकादमी का शिलान्यास
- भ्रष्टाचार के मामलों में अनुसंधान तकनीक पर यू.एन.ओ.डी.सी. कार्यशाला
- स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट से बदलाव की उम्मीद
- दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के संशोधन
- पुलिस की कलम और कूची से पर्यावरण संरक्षण तम्बाकू मुक्ति के स्वर

निदेशक की कलम से ...

पुलिस को देश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से मुकाबला करने में सक्षम बनाना पुलिस प्रशिक्षण की पहली प्राथमिकता है। पुलिस के पास इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उचित प्रशिक्षण एवं पर्याप्त संसाधन होने आवश्यक हैं। पुलिस परम्परागत शैली और साधनों से चुनौतियों का सामना ठीक से नहीं कर पा रही है। विभिन्न पुलिस संगठन पुलिसकर्मियों को चुनौतियों के अनुरूप बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। दंगों एवं उग्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के संसाधनों और युक्तियों पर निरन्तर शोध एवं मंथन किया जाता रहा है। कम्प्यूटर एवं मोबाईल के माध्यम से किये जाने वाले अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस अब अच्छी तरह से काम करने लगी है। इसका प्रमुख कारण प्रशिक्षण में इन विषयों को विस्तार से समाहित किया जाना है। संगठित गिरोहों के द्वारा किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के अपराध समाज एवं देश के लिए प्रमुख चुनौती बने हुए हैं। आतंकवाद ने आज संगठित गिरोह अपराधों का ही रूप ले लिया है। आज विभिन्न आतंकवादी संगठन आतंकवाद के साथ-साथ आर्थिक अपराधों, नार्को प्रोडक्ट की तस्करी, जाली नोटों का कारोबार एवं अन्य प्रकार की तस्करी में लिप्त रहते हैं। इस प्रकार के तत्वों पर भी पूर्ण निगरानी एवं नियंत्रण के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित एवं दक्ष बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए विकसित देशों की तरह से शोधपरक रवैया अपनाया जाना चाहिए तथा पुलिसकर्मियों को चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। पुलिस को चुनौतियों के अनुरूप बनाने का लक्ष्य केवल उच्च स्तर पर पदासीन व्यक्तियों एवं प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थापित व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। पुलिस व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों के सुझावों से भी बेहतरी के प्रयास किये जा सकते हैं। अतः इस पुनीत लक्ष्य के लिए सभी को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए।

अकादमी द्वारा प्रकाशित न्यूज लैटर के माध्यम से अकादमी तथा प्रशिक्षण संस्थानों एवं राजस्थान पुलिस से सम्बन्धित समाचारों के साथ ही फील्ड में पदस्थापित अधिकारियों की कौशल वृद्धि के लिए सामग्री प्रकाशित करने का लक्ष्य भी है। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। आपके बहुमूल्य सुझावों से हम प्रकाशित सामग्री को और बेहतर बनाने में सफल होंगे।

भगवान लाल सोनी
निदेशक

राजस्थान इन्टेलीजेन्स प्रशिक्षण अकादमी का शिलान्यास

राजस्थान पुलिस अकादमी के परिसर में तरणताल के पास राजस्थान पुलिस इन्टेलीजेन्स प्रशिक्षण अकादमी का शिलान्यास दिनांक 24.04.2013 को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, श्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। इस अवसर पर उनके साथ गृह राज्यमंत्री श्री वीरेन्द्र बेनीवाल भी थे। कार्यक्रम की शुरूआत मंत्रोच्चार एवं पूजा पाठ के पश्चात् शिलान्यास से हुई। कार्यक्रम में शिरकत करने वालों में श्री एम. एल. कुमावत, उप कुलपति सरदार पटेल पुलिस विश्व विद्यालय, जोधपुर भी थे। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस के उच्चाधिकारी एवं जवान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। श्री हरीशचन्द्र मीना, महानिदेशक पुलिस द्वारा माननीय मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया तथा राजस्थान में पुलिस इन्टेलीजेन्स प्रशिक्षण अकादमी खोलने के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री राजस्थान ने इस अवसर पर देश की आंतरिक सुरक्षा को मिल रही चुनौतियों का उल्लेख करते हुए आसूचना संकलन को आतंकवाद एवं फिरकापरस्ती से लड़ने के लिए अतिशय जरूरी बताया। उन्होंने पुलिस के आधुनिकीकरण को समय की आवश्यकता बताया तथा नक्सलवाद, माओवाद एवं आतंकवादियों को मिल रहे प्रशिक्षण एवं सहायता का उल्लेख करते हुए पुलिस को भी इन चुनौतियों का मुस्तैदी से मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण से ही इन चुनौतियां का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा सकता है। उन्होंने राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय ने इन्टेलीजेन्स शाखा में कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन दिये जाने की घोषणा भी की गई। इससे पूर्व ए.टी.एस., एस.ओ.जी. एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए भी अतिरिक्त वेतन की घोषणा की जा चुकी है। इन्टेलीजेन्स शाखा में अतिरिक्त वेतन की घोषणा का सभी उपस्थित लोगों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया।

राजस्थान में इन्टेलीजेन्स प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना से एक नये अध्याय की शुरूआत हुई है। इससे इन्टेलीजेन्स शाखा में कार्य करने वाले कर्मचारियों की क्षमताओं में वृद्धि होगी। राजस्थान सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण लम्बे समय से तस्करी एवं आतंकवादी समस्याओं से ग्रसित रहा है। इन्टेलीजेन्स अकादमी की स्थापना से सूचना संकलन के बेहतर संसाधनों के सम्बन्ध में इस शाखा में कार्य करने वाले लोगों को जानकारी होगी। इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त लोगों का डेटाबेस तैयार किया जाकर अन्य सुरक्षा एजेन्सीयों से तालमेल के द्वारा सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जा सकेगा।

भ्रष्टाचार के मामलों में अनुसंधान तकनीक पर यू.एन.ओ.डी.सी. कार्यशाला

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 09.04.2013 एवं 10.04.2013 को 'एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेटीव टेक्नीक्स एण्ड टेक्नोलोजिकल एडवांसमेन्ट इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन केसेज' पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन यू.एन.ओ.डी.सी. एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के साझा प्रयास से किया गया। इससे पूर्व भी राजस्थान पुलिस अकादमी में एक दिवसीय कार्यशाला यूनाईटेड नेशन्स ऑफिस ड्रग्स एण्ड क्राइम द्वारा 'चेलेन्जेज फेस्ड बॉय द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इण्डिया इन कोम्बेटिंग करप्शन एण्ड इम्प्लीमेन्टिंग द प्रोविजन ऑफ यू. एन. कन्वेन्सन अगेन्स्ट करप्शन' विषय पर नवम्बर 2012 में करवाया जा चुका है। उक्त कार्यशाला के दौरान यू.एन.ओ. डी.सी. की प्रतिनिधि सुश्री क्रिस्टीना अल्बर्टिन प्रमुख वक्ताओं एवं प्रतिभागियों के उक्त कार्यशाला में भागीदारी से बेहद प्रभावित हुई थी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में क्षमता वृद्धि प्रयासों के तहत पुनः उपर्युक्त विषय पर कार्यशाला कराने का प्रस्ताव प्रेषित किया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन्स कन्वेसन में लिये गये निर्णयों को लागू करने के लिए उपर्युक्त कार्यशाला अत्यधिक उपयोगी रही। कार्यशाला में राजस्थान पुलिस के निरीक्षक पुलिस से पुलिस अधीक्षक स्तर के 55 अधिकारियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में श्री भगवान लाल सोनी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए भ्रष्टाचार के मामलों में अनुसंधान, की विधि एवं वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग पर प्रकाश डाला। सुश्री क्रिस्टीना अल्बर्टिन द्वारा कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भ्रष्टाचार को अनेक समस्याओं यथा आतंकवाद एवं मनी लॉड्रिंग जैसी समस्याओं का कारण बताया। श्री अजीत सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ने भ्रष्टाचार के प्रकरणों के अनुसंधान में आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की।

प्रथम सत्र में 'रोल ऑफ फोरेन्सिक इन एन्टीकरप्शन' पर श्री एम. बी. राव, पूर्व निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला हरियाणा ने प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। श्री विवेकदत्त, पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध अनुभाग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा Investigation of cyber and hi-tech crimes/use of Digital Forensic in cyber Crime पर व्याख्यान देते हुए प्रतिभागियों को वर्तमान परिदृश्य में साईबर अपराधों की चुनौतियों के बारे में बताते हुए डिजिटल फोरेन्सिक की जानकारी प्रदान की। प्रथम दिन के आखिरी सत्र में श्री सरथ कुमार, चार्टर्ड अकाउन्टेट, हैदराबाद द्वारा Forensic Audit and role of Auditor in Anti-Corruption investigation विषय पर जानकारी प्रदान की। श्री डी.सी. जैन, महानिरीक्षक पुलिस, जोधुपर रेन्ज जोधपुर एवं श्री एम. कृष्णा ने Technical/Electronic Surveillance in detection/ investigation of corruption cases AND ii) Extraction & preservation of evidence from electronic medium and appreciation of electronic evidence विषयों पर जानकारी प्रदान की।

दिनांक 10.04.2013 को तृतीय सत्र में श्री पी.के ठाकुर, निदेशक एवं महानिदेशक सतर्कता, पटना बिहार द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति के मामलों में अवैध तरीके से अर्जित सम्पत्ति के जब्ती एवं अटैचमेन्ट की प्रक्रिया एवं कानूनी प्रावधानों के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की, वहीं श्री भगवान लाल सोनी, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी ने भ्रष्टाचार के मामलों में अपराधियों के दोष मुक्त होने के कारणों के सम्बन्ध में प्रतिभागियों से अपने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के अनुभव साझा किये। कार्यशाला के दौरान श्री वी.वी. लक्ष्मीनारायणा, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, हैदराबाद ने Use of technology in investigation of corruption in exploitation of natural resources विषय पर व्याख्यान देते हुए प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन में तकनीकी साधनों के प्रयोग से अंकुश लगाने के तरीकों को विस्तार से समझाया। तृतीय सत्र के अन्त में श्री राजेन्द्र शर्मा,

विशेषज्ञ एन्टी करप्शन एण्ड क्राइम प्रिवेन्शन, यू.एन.ओ.डी.सी. ने यूनाईटेड नेशन्स द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध कन्वेन्शन में लिये गये निर्णयों की जानकारी प्रदान की।

चतुर्थ सत्र में Corruption and Money Laundering: Challenges in investigation and coordination among investigation agencies विषय पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक, श्री बलविन्द्र सिंह ने मनी लॉन्ड्रिग के प्रकरणों में आने वाली कठिनाईयों एवं दुष्प्रभावों की जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला के अन्तिम सत्र में मानद अतिथि श्री बलविन्द्र सिंह तथा श्री सलीम अली विशेष निदेशक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा अनुसंधान तकनीक एवं तकनीकी प्रयोग के सम्बन्ध में प्रतिभागियों से अपनी दक्षता एवं अनुभव साझा किये तथा यू.एन. ओ.डी.सी. विशेषज्ञ डॉ0 राजेन्द्र शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

स्वास्थ्य परीक्षण केम्प

स्वास्थ्य परीक्षण करवाते श्री भगवान लाल सोनी, निदेशक अकादमी

जीवन में व्यस्तताओं और अनियमित जीवनशैली के परिणाम स्वरूप पुलिस कर्मियों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं। ब्लड प्रेशर तथा मधुमेह के अतिरिक्त जोड़ों में दर्द की समस्या से बहुत से लोग ग्रस्त रहते हैं। समयाभाव में व्यायाम, विश्राम और दवा तीनों ही सम्भव नहीं हो पाते हैं। फलस्वरूप बीमारी उग्र से उग्रतम रूप धारण कर लेती है। पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निदान के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी के केम्पस में पहले से ही टोल फ्री हैल्थ हैल्प लाईन एवं हैल्थ रिसोर्स सेन्टर संचालित किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को होने वाली सायंकालीन सभाओं में भी अकादमी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न अस्पतालों से विशेषज्ञ बुलवाकर जानकारी प्रदान की जाती है तथा उपचार भी बताये जाते हैं। पुलिसकर्मियों को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए परन्तु समयाभाव एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर होने वाले खर्च के कारण यह भी सम्भव नहीं हो पाता है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 06.04.2013 एवं 07.04.2013 को अकादमी में पदस्थापित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण केम्प का आयोजन किया गया। यह केम्प महात्मा गाँधी अस्पताल सीतापुरा द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें कर्मचारियों के ब्लड प्रेशर, बी.एम.आई, हिमेटोलौजी एवं बायोकेमेस्ट्री की जाँच की गई। केम्प में कुल 382 अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों ने पंजीकरण करवाया। उक्त स्वास्थ्य परीक्षण की जाँच रिपोर्ट लगभग एक सप्ताह में अकादमी में प्रेषित कर दी गई थी। इस केम्प में निदेशक अकादमी श्री भगवान लाल सोनी सहित सभी सहायक निदेशक, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों ने स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी जाँचें करवाई।

स्वास्थ्य परीक्षण करवाते श्री ज्ञानचन्द, सहायक निदेशक आउटडोर

अकादमी का वार्षिक निरीक्षण

राजस्थान पुलिस अकादमी का वार्षिक निरीक्षण दिनांक 24.06.2013 को श्री आर. एस. ढ़िल्लों, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण राजस्थान द्वारा किया गया। श्री ढ़िल्लों द्वारा सर्वप्रथम प्रातः 07:00 बजे परेड का निरीक्षण किया गया। परेड का नेतृत्व श्री ज्ञानचन्द्र यादव, सहायक निदेशक आउटडोर द्वारा किया गया जिसमें चार प्लाटून शामिल थी। प्लाटूनों का नेतृत्व श्री ज्ञानसिंह कम्पनी कमाण्डर, श्री ज्ञानचन्द कम्पनी कमाण्डर, श्री जितेन्द्र कुमार कम्पनी कमाण्डर एवं श्री दुर्गसिंह आरपीएस प्रशिक्षु द्वारा किया गया। परेड के पश्चात् उन्होंने स्टोर, मल्टीपरपज हॉल, पुलिस केन्टीन, अस्पताल, फायरिंग रेन्ज, शहीद स्मारक, रिसाला एवं लूणी, सरस्वती व अरावली हॉस्टल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कल्पतरू नर्सरी का भी भ्रमण किया जहां पौधों के वर्गीकरण तथा उनकी विक्रय सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक निर्देश प्रदान किये।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण राजस्थान द्वारा अधिकारियों की गोष्ठी ली गई। जिसमें उप निरीक्षक एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुये। गोष्ठी के दौरान अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी द्वारा अकादमी की गतिविधियों का प्रजेन्टेशन दिया गया। प्रजेन्टेशन के पश्चात् अकादमी में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं प्रशिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। भविष्य में प्रशिक्षुओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए आउटडोर तथा इण्डोर के लिए ओर अधिक प्रशिक्षक लगाये जाने की आवश्यकता महसूस की गई तथा पुलिस मुख्यालय को इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

निरीक्षण के दौरान अकादमी में पदस्थापित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सम्पर्क सभा ली गई। सम्पर्क सभा में उन्हें अपनी कार्यक्षमता में विकास करने के साथ ही परिवार व बच्चों के विकास की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। उन्हें निर्देश दिये गये कि वे अपने जीवन में ईमानदारी एवं सादगी को अपनाये तथा व्यसनों से दूर रहें। उन्हें पुलिस आचार संहिता में उल्लेखित आचरण को अपनाने के निर्देश भी दिये गये तथा पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के विषय पर चर्चा की गई। अकादमी के प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न पुलिस विभागों की भाँति प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थापित कर्मियों को भी इन्सेन्टिव देने की माँग की गई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण ने भी इस माँग का समर्थन किया तथा अच्छे प्रशिक्षक प्राप्त करने के लिए इन्सेन्टिव दिया जाना उचित माना। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण ने अकादमी में पदस्थापित अधिकारियों के कार्य पर संतोष व्यक्त किया परन्तु साथ ही अकादमी को अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने पर भी बल दिया।

विविध गतिविधियाँ

कॉम्बेटिंग सेक्सुअल ओफेन्स अगेन्स्ट वूमन कार्यशाला में व्याख्यान देते हुए श्रीमती कमल शेखावत, सहायक निदेशक

श्रीमती शालिनी सिंह द्वारा लिखित मार्गदर्शिका का विमोचन करते हुए यूनिसेफ चाईल्ड प्रोटेक्शन चीफ, दिल्ली श्री जियोचिम थेस

'कॉम्बेटिंग सेक्सुअल ओफेन्स अगेन्स्ट वूमन' पर कार्यशाला

दिल्ली गैंग रेप की घटना के बाद देश में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर टेलीविजन व प्रिन्ट मीडिया में निरन्तर बहस एवं दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में जनता द्वारा किये गये उग्र प्रदर्शनों के फलस्वरूप पुलिस अधिकारियों को इस प्रकार के अपराधों के सम्बन्ध में विधिक एवं अन्य जानकारी दिया जाना समीचीन समझा गया। राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 29 एवं 30 अप्रैल 2013 को कॉम्बेटिंग सेक्सुअल ओफेन्स अगेन्स्ट वूमन पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य प्रतिभागियों को Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 (POCSO) एवं Criminal Law Amendment Act 2013 की जानकारी प्रदान कर उन्हें इस प्रकार के अपराधों के लिए संवेदनशील बनाना था। उक्त कार्यशाला के लिए प्रत्येक जिले से एक पुलिस उप अधीक्षक और एक पुलिस निरीक्षक को मनोनीत करने के लिए तथा कम से कम एक महिला अधिकारी, जो इस प्रकार के अपराधों के सम्बन्ध में कार्यवाही करती हो, को मनोनीत करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों को लिखा गया। कार्यशाला में राजस्थान के सहायक उप निरीक्षक से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 102 अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई जिसमें उद्घाटन सत्र में Various Legal Issues as Emerged after the Infamous Delhi Gang Rape Case with Special Emphasis on POCSO 2012 and CLA Act 2013 विषय पर श्री एस.के. शर्मा, सदस्य एडज्यूकेटिंग अथ्योरिटी अण्डर पी.एम.एल.ए., भारत सरकार द्वारा दी गई। अन्य प्रमुख वक्ताओं में डॉ. अनन्त अस्थाना, ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क लीगल कन्सलटेन्ट तथा ट्रेनर ऑन चाईल्ड राइट्स द्वारा Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 पर तथा श्रीमती कमल शेखावत, सहायक निदेशक, सी.डी.पी.एस.एम. द्वारा सेक्सुअल हरेसमेन्ट ऑफ वूमन एट वर्क प्लेस– लॉ एण्ड इम्पलीमेन्टेसन विषय पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई।

सुश्री सुनीता सत्यार्थी ने यौन अपराधों के विभिन्न कानूनी पहलुओं पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। इन्वेस्टीगेशन ऑफ सैक्सुअल एक्सपलोईटेशन एण्ड रेप केसेज पर अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी द्वारा व्याख्यान दिया गया। मेडिको लीगल मोलेस्टेशन, रेप केसेज पर श्री आर. एस. शर्मा, सेवानिवृत अतिरिक्त निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर ने इस प्रकार के केसेज में ली जाने वाली वैज्ञानिक साक्ष्य के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि बलात्कार के मामलों में मेडिकल परीक्षण के दौरान लिये जाने वाले साक्ष्य जैसे वेजाइनल स्वाब में स्लाईड को यदि पूर्ण रूप से सूखाकर सुरक्षित नहीं किया गया तो अपराधी की पहचान संभव नहीं हो पाती है। नमी युक्त पदार्थ को एयर टाईट पैक करने से उस पर उत्पन्न फंगस अपराधी द्वारा छोड़े गये सीमन स्त्राव को नष्ट कर देती है। उन्होंने यह भी बताया कि बलात्कार या यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता के नाखूनों में अपराधी की रक्त कोशिकायें, बाल या फाईबर आदि मिलने की पूर्ण संभावना होती है जो अपराधी को अपराध से जोड़ने में सहायक सिद्ध होती है। अतः पीड़िता के नाखूनों के सेम्पल अवश्य लिये जाकर परीक्षण करवाया जाना चाहिए।

कार्यशाला के विदाई सत्र में सुश्री सिरूपा मित्रा चौधरी द्वारा सेफ्टी, सेक्यूरिटी एवं स्टेटस ऑफ वूमन एण्ड गर्ल्स विषय पर जानकारी देते हुए उनमें कॉन्फीडेन्स बिल्डिंग की जानकारी प्रदान की तथा वर्तमान परिपेक्ष्य में इसे अतिशय महत्त्वपूर्ण तथा महिलाओं को गरिमापूर्ण परिस्थितियाँ प्रदान करने में सहायक बताया। विदाई सत्र में राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक श्री गुलाबचन्द कोठारी ने महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में पुलिस से जन अपेक्षाओं के सम्बन्ध में प्रतिभागियों से विचार साझा किये।

स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट से बदलाव की उम्मीद

राजस्थान देश के उन अग्रणी प्रदेशों में है जहाँ स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजना शुरू की गई है। इसे मात्र एक सरकारी घोषणा नहीं माना जाकर समाज में कम उम्र के लोगों में बदलाव का एक अवसर माना जाना चाहिए। इस योजना से भविष्य में प्रदेश में कई तरह के बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। वर्तमान में अनेक स्थानों पर युवाओं द्वारा तोड़–फोड़ एवं सरकारी सम्पत्ति के नुकसान के समाचार हमें प्रतिदिन अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं। सार्वजनिक सम्पत्ति को आग के हवाले करते हुए युवक जरा भी खयाल नहीं करते कि जिस सम्पत्ति को वे नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह उन्हीं के देश की है। उग्र अभिव्यक्ति से स्वयं को प्रचारित करवाने की एक होड़ सी चल पड़ी है। कुछ लोगों को एकत्र कर उन्हें कानून विरोधी कार्य में झोंक कर उनका नेतृत्व धारण करने वाले इस प्रकार की कानून विरोधी गतिविधियों में अपनी राजनैतिक जमीन तलाशते हैं। इस पृष्ठ भूमि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबन्दी लगाई गई है, एक स्वागत योग्य कदम है। हमें भी उन समस्त परिस्थितियों का दोहन करना चाहिए जिससे हमारे देश में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

युवाओं की शक्ति को दिशा देने में स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट के प्रशिक्षण के माध्यम से वांछित बदलाव लाया जा सकता है। आज भले ही स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट की सीमित भूमिका की कल्पना की गई हो, जिसमें आमजन और पुलिस के बीच की दूरी को पाटना, पुलिस कार्य प्रणाली की आमजन को जानकारी प्रदान करना, पुलिस कार्यों में स्टूडेन्टस से सहयोग लिया जाना, उनमें अनुशासन की वृद्धि करना आदि ही शामिल किये गये हैं। भविष्य में स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट के माध्यम से हमें निश्चित ही वृहत् लक्ष्य की प्राप्ति होगी जिसमें भविष्य के अच्छे नागरिकों का निर्माण शामिल है। स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट के माध्यम से हम कम उम्र के बच्चों में उन संस्कारों का बीजारोपण कर सकते हैं जो उन्हें अनुशासित, कर्त्तव्यपरायण, देशभक्त, कानून का पालन करने वाले, ईमानदार, निर्भीक, प्रत्येक देशवासी के प्रति भाईचारे की भावना रखने वाले होने के साथ–साथ वासुधैवम् कुटूम्बकम् की भावना में विश्वास करने वाले भी हों। आज कई राष्ट्र आतंरिक सुरक्षा से जूझ रहे हैं। आपस की हिंसा में अपने ही देश के लोगों को मारा जा रहा है तथा देश की सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मिश्र और सीरिया का उबाल हम सबने देखा है। अफगानिस्तान में स्थिति बेहद विकट है। जब किसी देश में कानून का शासन नहीं चल पाता है तो उसे विफल राष्ट्रों की श्रेणी में माना जाता है। विफल राष्ट्र में सभी का जीवन संकटमय होता है तथा सभी खोने वाले होते हैं, पाने वाला कोई नहीं होता। हमारे पड़ोस में कमोबेश यही स्थिति है जहाँ प्रजातंत्र को गोल्फ की गेंद की तरह से अनेक फौजी नौकरशाहों ने अपने बूट की ठोकर से गड्ढे में पहुंचाया है। हमारा देश प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बनाये रखने में सफल रहा है। आज यह निर्विवाद रूप से साबित है कि प्रजातंत्र ही श्रेष्ठ शासन प्रणाली है जिसमें सभी महफूज हैं। अतः प्रजातांत्रिक मूल्यों और परम्पराओं को आत्मसात करने के साथ–साथ उन्हें सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यह लक्ष्य स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजना के माध्यम से बालकों को संविधान एवं संवैधानिक अधिकारों के साथ–साथ मूल कर्त्तव्यों की व्यावहारिक जानकारी प्रदान कर प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों में अनेक अच्छी आदतें यथा वैज्ञानिक सोच, अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क शक्ति का प्रयोग, कुरीतियों एवं कुप्रथाओं पर प्रहार, मितव्ययता, योग एवं व्यायाम के द्वारा स्वस्थ रहने की जानकारी, यातायात प्रबन्धन, धर्म, जाति, क्षेत्र एवं भाषा की संकीर्णता से ऊपर उठकर कार्य करने तथा जीवन में सादगी और सदाचार को अपनाने की सिखलाई देकर अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है। उन्हें निवारक कानून की जानकारी के माध्यम से भी कानून सम्मत आचरण करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

वर्तमान समय में मानव तस्करी, महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि के सम्बन्ध में भी स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजना के माध्यम से बालकों में जागरूकता लाये जाने की आवश्यकता है। यातायात नियमों की जानकारी से उन्हें सुरक्षित चलने की सिखलाई देकर सहायता की जा सकती है। छात्रों को पुलिस के साथ सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की सहायता में लगाकर उनमें देश एवं समाज की सेवा का जज्बा पैदा किया जा सकता है।

जगदीश पूनियाँ, आर.पी.एस.

दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के संशोधन

संशोधन के पश्चात् प्रावधान

धारा 100 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हमलावर की मृत्यु कारित करने के अधिकार में पूर्वांकित छः परिस्थितियों के अतिरिक्त **सातवीं** परिस्थिति शामिल की गई है :–

यदि हमला एसिड फैंक कर किया जाए या एसिड फैंकने का प्रयास किया जाए जिससे घोर उपहति की संभावना हो।

धारा 166 के पश्चात् धारा 166 ए अन्तःस्थापित की गई है :–

166ए जो कोई लोक सेवक होते हुए

(क) जानते हुए, विधि के किसी भी निदेश की अवज्ञा करे, जो उसे, किसी अपराध या किसी अन्य मामले के जांच के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर हाजिरी की अपेक्षा करने से प्रतिषिद्ध करे।

(ख) किसी व्यक्ति से पूर्वाग्रह रखते हुए विधि के अन्य निदेश जो कि इस बात का नियमन करता है कि इस तरह की जांच में उनका आचरण कैसा होना चाहिए, को जानते हुए अवज्ञा करे।

(ग) धारा 326ए, 326बी, 354, 354बी, 370, 370ए, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई व धारा 509 के अन्तर्गत दण्डनीय संज्ञेय अपराधों की सूचना अभिलिखित करने में विफल होता है।

वह एक वर्ष के साधारण कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

166बी अन्तःस्थापित की गई है :–

जो कोई किसी अस्पताल का प्रभारी होते हुए, चाहे वह सरकारी हो या निजी या किसी व्यक्ति द्वारा संचालित हो, धारा 357सी दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह एक वर्ष के साधारण कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 में वर्णित धारा 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी या 376ई के पीड़ित का नाम मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दो वर्ष के साधारण कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 326 के पश्चात् धारा 326ए अन्तःस्थापित की गई है:–

जो कोई किसी व्यक्ति को एसिड इत्यादि का प्रयोग करके घोर उपहति कारित करता है जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो, वह आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

- किया गया जुर्माना इतना होगा जिससे पीड़ित का इलाज किया जा सके।
- किया गया जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा।

धारा 326बी अन्तःस्थापित की गई है:–

जो कोई किसी व्यक्ति को एसिड इत्यादि का प्रयोग करके घोर उपहति कारित करने का प्रयास करता है जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो, वह न्यूनतम 5 वर्ष के जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, के कारावास से या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

- इस धारा के प्रयोजन के लिए एसिड के अन्तर्गत कोई भी ऐसा पदार्थ जिसकी प्रकृति जलाने की हो या जो शारीरिक क्षति पहुंचाने में समर्थ हो जिससे शरीर पर दाग, विद्रूपण या अस्थाई या स्थाई निःशक्तता होती हो, सम्मिलित होगा।
- स्थाई या आंशिक क्षति में शरीर के भाग या भागों को विरुपित या विकलांग करना या जलाना या स्वरुप बिगाड़ना या निःशक्त करना शामिल है।

जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह न्यूनतम एक वर्ष तक के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 354 के पश्चात् धारा 354क अन्तःस्थापित की गई है :–

354क :– लैंगिक उत्पीडन के लिए दण्ड

(1) निम्नांकित कृत्य लैंगिक उत्पीड़न का अपराध गठित करेंगे :–

(प) शारीरिक संपर्क करना और ऐसा मित्रतापूर्वक व्यवहार जताने का प्रयास करना जिसमें कि अप्रिय एवं सुस्पष्ट यौन संबंधी प्रस्ताव अंतर्वलित हो।

(पप) लैंगिक सहयोग हेतु मांग या निवेदन करना।

(पपप) बलपूर्वक अश्लील साहित्य दिखाना।

(पअ) लैंगिक संबंधी टिप्पणी करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खण्ड (प) या (पप) या (पपप) में वर्णित कृत्य का अपराध करता है उसे पांच वर्ष तक के कठोर कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खण्ड (पअ) में वर्णित कृत्य का अपराध करता है उसे एक वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 354ख अन्तःस्थापित की गई है :–

जो कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसे निर्वस्त्र करने के

आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है वह न्यूनतम तीन वर्ष तक के कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 354ग अन्तःस्थापित की गई है :–

दर्शनरति :– जो कोई व्यक्ति किसी महिला को निजी कृत्य करते हुए देखता है या उसका चित्र लेता है वह प्रथम दोषसिद्धि पर न्यूनतम एक वर्ष तक के कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा। पश्चातवर्ती अपराध के लिए न्यूनतम तीन वर्ष तक के कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

- निजी कृत्य में ऐसे कृत्य सम्मिलित है जो परिस्थितियों में एकांतता प्रदान करने हेतु अपेक्षित है और जहां पीड़ित के जननांग, नितंब या वक्ष अभिदर्शित होते है या केवल अन्तःवस्त्र से ढ़के होते है या पीड़िता शौचालय का उपयोग कर रही है या व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा लैंगिक कृत्य किया जा रहा है जो कि इस प्रकार का न हो कि आम तौर पर सार्वजनिक रूप से किया जाए।
- यदि पीड़िता अपना चि़त्र या कोई कृत्य को लिये जाने की सहमति देती है परन्तु उसका प्रसार तीसरे व्यक्ति के समक्ष करने की सहमति नहीं देती है और यदि ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता है तो वह इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा।

धारा 354घ अन्तःस्थापित की गई है :–

पीछा करना :– (1)

(प) जो कोई किसी स्त्री से व्यक्तिगत व्यवहार के लिए लगातार संपर्क करता है या पीछा करता है या संपर्क करने की कोशिश करता है जिसके लिए उस स्त्री की कोई अभिरुचि नहीं है या

(पप) किसी स्त्री पर इन्टरनेट का उपयोग कर नजर या निगरानी रखता है या किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरण द्वारा या ईमेल द्वारा या दृष्टव्य साधनों से मॉनिटरिंग करता है जिससे उसे मानसिक कष्ट या हिंसा का भय या मानसिक शान्ति में हस्तक्षेप महसूस होता है तो ऐसा कृत्य पीछा करने का अपराध कारित करता है।

परन्तु निम्नांकित कृत्य इसमें सम्मिलित नहीं होंगें –

- यदि पीछा अपराध का निवारण करने के लिए किया जाए।
- किसी विधि के अधीन आवश्यक शर्तों या नियमों के पालन में पीछा किया जाए।
- किसी युक्तियुक्त कारण से विशेष परिस्थितियों में पीछा किया जाए।

(2) जो कोई व्यक्ति पीछा करने का अपराध करता है वह प्रथम दोषसिद्धि पर तीन वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा। दूसरी बार पश्चातवर्ती अपराध के लिए पांच वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 370 के स्थान पर धारा 370 तथा 370क प्रतिस्थापित की गई है।

धारा 370:– व्यक्ति का दुर्व्यापार करना :–

(1) जो कोई किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का शोषण के प्रयोजन के लिए (क) भर्ती करता है, (ख) परिवहन करता है (ग) संश्रय देता है (घ) अंतरित करता है या (ङ) प्राप्त करता है :–

1. धमकी का प्रयोग करते हुए
2. बल का प्रयोग करते हुए या किसी अन्य प्रपीड़न द्वारा
3. अपहरण करके
4. कपट या धोखे का प्रयोग करके
5. शक्ति का दुरुपयोग करके या
6. उत्प्रेरण द्वारा

नियन्त्रण कर सके, ऐसा व्यक्ति दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है।

- शोषण में वैश्यावृत्ति या अन्य किस्म का लैंगिक शोषण, बलपूर्वक मजदूरी या सेवाएं, दासत्व या बलपूर्वक अंगों का निकाला जाना शामिल है।
- ऐसे दुर्व्यापार के अपराध में पीड़ित की सहमति अतात्विक है।

(2) दुर्व्यापार के अपराध पर सात वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(3)एक व्यक्ति से अधिक के दुर्व्यापार के अपराध पर न्यूनतम दस वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(4) अव्यस्क के दुर्व्यापार के अपराध पर न्यूनतम दस वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(5) एक से अधिक अवयस्क के दुर्व्यापार के अपराध पर न्यूनतम चौदह वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(6) एक अवसर से अधिक बार अवयस्क के दुर्व्यापार के अपराध पर आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाएगा और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(7) जब कोई लोकसेवक जिसमें पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित है, दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाएगा और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

धारा 370ए :– दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति को नियोजित करना –

(1) जो कोई यह जानते हुए की कोई अवयस्क दुर्व्यापार द्वारा लाया गया है, उसे किसी लैंगिक शोषण के कार्य में नियोजित करता है वह न्यूनतम पांच वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

(2) जो कोई यह जानते हुए की कोई व्यक्ति दुर्व्यापार द्वारा लाया गया है, उसे किसी लैंगिक शोषण के कार्य में नियोजित करता है वह न्यूनतम तीन वर्ष तक के सश्रम कारावास से जो पाँच वर्ष तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा। वह जुर्माने का दायी भी होगा।

बलात्संग के अपराध में मैथुन में निम्नांकित को शामिल किया गया है :–

(क) जब कोई व्यक्ति अपने शिश्न को किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कराता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(ख) जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु या शरीर का अन्य भाग जो शिश्न नहीं है, को किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कराता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(ग) जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का अभिचालन इस प्रकार करता है जिससे स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन हो या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(घ) जब कोई व्यक्ति अपने मुंह को किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा पर लगाता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

बलात्संग के अपराध के लिए पूर्वांकित छः परिस्थितियों में सातवीं परिस्थिति जोड़ी गई हैं–

7. जब स्त्री सम्मति को संसूचित करने में असमर्थ हो।

स्पष्टीकरण 1 :– इस धारा के प्रयोजन हेतु योनि में वृहत् भाग ओष्ठ भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण 2 :– सम्मति का अर्थ शब्दों से या इशारों से या किसी अन्य प्रकार के अमौखिक संपर्क के द्वारा अपनी रजामंदी किसी विशेष कृत्य में भाग लेने हेतु इंगित करता है।

परन्तु – यदि किसी स्त्री द्वारा शारीरिक रूप से प्रवेशन के कृत्य का विरोध नही किया जाए तो केवल इस तथ्य के कारण यह नहीं माना जाएगा कि वह लैंगिक क्रियाकलाप के लिए सहमत थी।

अपवाद –

1. किसी चिकित्सकीय कार्य के लिए किया गया किसी प्रकार का प्रवेशन अपराध गठित नहीं करेगा।

2. पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि वह 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है।

जो कोई उपधारा (2) में वर्णित उपबन्धों के सिवाय, बलात्संग करेगा वह सश्रम कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

जो कोई –

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए थाने की सीमा में या अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ बलात्संग करेगा (ख) लोक सेवक होते हुए किसी ऐसी स्त्री से जो उसकी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ लोक सेवक की अभिरक्षा में है, के साथ बलात्संग करेगा।

(ग) किसी सशस्त्र बल का सदस्य होते हुए किसी ऐसे स्थान पर जहां उसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तैनात किया जाए, किसी स्त्री से ऐसे स्थान पर बलात्संग करेगा।

(घ) किसी जेल या प्रतिप्रेषण गृह या स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए वहां के किसी निवासी से बलात्संग करेगा।

(ङ) किसी अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारी होते हुए उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ बलात्संग करेगा।

(च) किसी स्त्री का रिश्तेदार, अभिभावक या अध्यापक होते हुए

या उसके विश्वास या प्राधिकार में उस स्त्री से बलात्संग करेगा।

(छ) साम्प्रदायिक या जातीय दंगों के दौरान किसी स्त्री से बलात्संग करेगा।

(ज) किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा।

(झ) किसी स्त्री से, जो सोलह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा।

(ञ) किसी स्त्री से, जो सहमति देने में असक्षम है, बलात्संग करेगा।

(ट) अपने नियन्त्रण या प्रभुत्व के अधीन किसी स्त्री से बलात्संग करेगा।

(ठ) किसी स्त्री से, जो शारीरिक या मानसिक निःशक्तता से पीडित हो, बलात्संग करेगा।

(ड) किसी स्त्री से बलात्संग करते हुए घोर शारीरिक क्षति पहुंचाये या विकलांग करे या विद्रूपित करे या जीवन को संकट में डालेगा।

(ढ) किसी स्त्री से लगातार बलात्संग करेगा।

वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

जो कोई धारा 376 (1) या 376 (2) के अन्तर्गत बलात्संग करता है तथा ऐसे कृत्य के दौरान वह उस स्त्री को इस तरह की उपहति पहुंचाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए या वह निरन्तर निष्क्रियता की स्थिति में पहुंच जाए तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय होगा।

जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रथा या रुढ़ी के अधीन उससे अलग रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा वह किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी तथा जो सात वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। जो कोई 1. पद पर एक हैसियत पर रहते हुए या वैश्वासिंक संबंध में होते हुए या 2. लोकसेवक होते हुए या 3. किसी जेल या प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए या 4. किसी अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारी होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाते हुए या किसी स्त्री को प्रेरित करते हुए या पद भ्रष्ट करके वैश्वासिक संबंध या पदीय स्थिति का दुरुपयोग कर किसी स्त्री से अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा जो मैथुन बलात्संग की कोटि में नहीं आता है वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी तथा जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

सामूहिक बलात्कार

जहां किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह में बलात्संग किया जाता है, जहां सामूहिक बलात्संग में सबका सामान्य आशय हो जो हर व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, उसमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति को कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

- किया गया जुर्माना पीड़ित के चिकित्सकीय खर्चों की पूर्ति व पुर्नवास के लिए युक्तियुक्त होगा।
- इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा।

जो कोई व्यक्ति धारा 376 या 376क या 376ग या 376घ के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध हुआ है तथा पुनःश्च उक्त धाराओं में वर्णित दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध होता है तो वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय होगा।

निवेदन

पुलिस अधिकारियों के लिए विधि में नवीनतम संशोधन एवं अन्य जानकारियाँ प्रदान करने का यथा सम्भव प्रयास किया जाता रहेगा। फील्ड में पदस्थापित अधिकारी किस प्रकार की जानकारी अपने लिए अधिक उपयोगी समझते है, के सम्बन्ध में हमें सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। यथासम्भव उनकी माँग के अनुसार जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा।

संपादक

पुलिस की कलम और कूची से पर्यावरण संरक्षण तम्बाकू मुक्ति के स्वर

''चोट पर चोट खाती रही गंगा, फिर भी खामोश रही गंगा। कुदरत से न करो मनमानी, वरना सहनी पड़ेगी बर्बादी।''..........

पुलिस के प्रशिक्षुओं की कलम और कूची के रंगो और नारों से अभिव्यक्त तम्बाकू मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के ये सन्देश राजस्थान पुलिस अकादमी के परिसर में लगी पोस्टर प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। हर वर्ष की भातिं इस वर्ष भी पुलिस प्रशिक्षण का अनुशासित एवं कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं के हाथों ने राजस्थान पुलिस अकादमी के परिसर में दिनांक 25 जून 2013 को आयोजित विविध प्रतियोगिताओं में 84 से अधिक रचनाएं प्रस्तुत की गयी, जिनमें 27 पोस्टर, 37 लेख एवं 20 कविताओं के माध्यम से पुलिस प्रशिक्षुओं ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियाँ दी। **पर्यावरण को बचाएं** एवं **तम्बाकू छोड़े–जीवन चुनें** विषय पर आयोजित विविध पोस्टर, लेख एवं कविता प्रतियोगिताओं की अलग – अलग श्रेणियों में प्रशिक्षुओं ने न केवल उत्साह से भाग लिया बल्कि पर्यावरण बचाने के सन्देश के नारों के साथ विषय सम्बन्धी समसामयिक तस्वीर को प्रस्तुत किया। उन्होंने खुशहाल जीवन और हरी भरी प्रकृति की रक्षा के सपनों को पोस्टर कविताओं और लेखों के माध्यम से व्यक्त किया।

जागरूकता की नज़ीरें – बेहतरी के सन्देश

प्रशिक्षुओं की कृतियों में अद्वितीय संवेदनशीलता झलकती हैं जो इंगित करती है कि सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति खाकी प्रशिक्षु पीछे नहीं है। उनके अभिव्यक्ति के जोश का आलम यह था की विविध विधाओं में प्रशिक्षुओं ने एक से अधिक प्रविष्ठियां दी। प्रतियोगियों के लेखों में उत्तराखण्ड की प्राकृतिक विनाश की हाल की घटनाओं की पृष्ठभूमि में प्रकृति की रक्षा की आवश्यकता को उल्लेखित किया गया था, वहीं उनकी कविताओं में प्रकृति के प्रतिशोध को भी प्रतिध्वनित किया गया।

कुछ नज़ीरें **''धुआँ छानकर पीने की हो गयी है बीमारी, गंदा पानी और नाले की सब्जी है मेरी लाचारी उफ गर्मी तेरा कहर है ज़ारी, बिन कूलर कैसे गुजरे जीवन नैया हमारी, क्या लिखूं कलम से पर क्यों रूकुं कसम से।''** 'कलम की कसम से' शीर्षक कविता में प्रशिक्षु उपनिरीक्षक ने अपने भावों को व्यक्त किया। पुलिस प्रशिक्षुओं की अपनी साफ–सुथरी रचनाओं में अभिव्यक्त संदेशों में जहां एक ओर **नशा नरक का द्वार है, नहीं मानोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार है,** जैसी चेतावनियाँ थी वहीं दूसरी ओर साथ ही **वृक्ष धरा के भूषण, दूर करें प्रदूषण** की समझाइश भी थी। एक अन्य स्टॉफ सदस्य के पोस्टर की कृति में पर्यावरण विनाश के रूप एक सदी में बिगड़े चेहरे की विनाश यात्रा की दास्तां प्रस्तुत थी। **'चलो हम सभी वृक्ष लगाये पर्यावरण को स्वास्थ्य बनाये' फिर से यहाँ वन होंगे वनों में फिर फल होंगे,** जैसी आशा भी कविता में व्यक्त हुई।

तम्बाकू के खतरे से आगाह करने के लिए बने पोस्टरों में सुख–दुखः जनरल स्टोर में 700 रूपये किलो बादाम और 25000 रूपये किलो गुटका। पैसा आपका, जीवन आपका, फैसला आपका, जैसे रोचक विकल्पों को दिया गया था। **'बी स्मॉर्ट – डोंट स्टॅार्ट'** जैसे तम्बाकू मुक्ति के सन्देश थे।

इन प्रतियोगिताओं का सुखद पक्ष यह था कि इन प्रतियोगिताओं में प्रतियोगियों के प्रोत्साहन हेतु स्टाफ सदस्यों में सुश्री वीणा शास्त्री, पुलिस निरीक्षक, कानि0 रामराज, पुष्पा, सत्यभान एवं सहायक कर्मचारी शर्मिला ने अपनी पोस्टर प्रविष्ठियाँ गैर पुरस्कार श्रेणी में देकर सहभागिता दी।

दिनांक 8 जुलाई 2013 को इन प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए अकादमी के निदेशक महोदय, श्री बी.एल. सोनी, ने इस अवसर पर सभी सहभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए राजस्थान पुलिस अकादमी की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं की सराहना करते हुए अन्य संस्थाओं में विशेषतः क्षेत्रीय पुलिस थाने एवं कमिश्नरेट में तम्बाकू मुक्ति के साथ–साथ नशा मुक्ति के जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होनें कहा कि **''पुलिस की छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, समाज में सिगरेट के धुएं के छल्लों से पुलिस की पहचान नहीं होती, बल्कि इस तरह कि बुरी आदतों से मुक्त हमारा संगठन एक मिसाल प्रस्तुत कर सकता है।''** उन्होंने विजेता सहभागियों को पुरस्कृत करते हुए भविष्य में भी ऐसे सुधारात्मक कार्यक्रमों के ज़ारी रखे जाने की मंशा व्यक्त की। प्रविष्ठियों का आकलन आर.पी.ए. के अधिकारियों के पैनल द्वारा किया गया जिनके माननीय सदस्य श्री आलोक श्रीवास्तव (सहायक निदेशक विशेष कोर्स), श्रीमती कमल शेखावत (सहायक निदेशक सी.डी.पी.एस.एम.) एवं श्री राजेन्द्र चौधरी (उप–पुलिस अधीक्षक) थे।

श्रेष्ठ प्रक्रियाएं: अच्छा करने का अवसर

किसी भी प्रशिक्षण संस्थान अथवा संगठन के लिए यह अवसर एक दीर्घकालिक रूप से उसे जीवन्त बनाने का अवसर प्रदान करता है जब प्रत्येक दिन के दायित्वों के साथ उस संगठन में कार्य करने वाले सामाजिक दुष्प्रवृतियों से मुक्ति और माननीय संवेदनाओं के विषयों पर निरन्तर सहभागी रूप से जुड़े। बेशक यह आशा बोंने और आत्मसंतोष प्राप्त करने का एक अवसर हो सकता है। यह सीख देता है कि कभी भी कुछ अच्छा करने का मौका मत छोड़ो। सुधार की शुरूआत सामूहिक प्रयासों और बेहत्तरीन तालमेल से होती है।

उल्लेखनीय है कि अकादमी के परिसर में कॉनिस्टेबल, सब–इन्सपेक्टर, आर.पी.एस. रैंक के प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जिनकी औसत आयु 18 से 25 वर्ष की है। ये युवा पुलिसकर्मी राजस्थान पुलिस अकादमी में लगभग एक वर्ष के प्रशिक्षण प्रवास के दौरान जब तम्बाकू एवं नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं वन संरक्षण के जागरूकता अभियानों एवं सुधार के उत्तरदायित्वों से जुड़ते है। उदाहरण के रूप में –

राजस्थान पुलिस अकादमी में तम्बाकू मुक्त नीति के अब तक के प्रयासों की यात्रा से अनेक सीखें मिली हैं। इस कार्यक्रम की अनुपालना से जुड़े पुलिस उप अधीक्षक (आउटडोर) श्री चन्दाराम के अनुसार "इसमें अकादमी के सामान्य कर्मचारी से लेकर शीर्ष संगठन की सहभागिता रहती है। सुश्री वीणा शास्त्री, निरीक्षक पुलिस का मानना है कि विगत कुछ समय से नियमित रूप से आयोजित की जाने वाली इन प्रतियोगिताओं में जीवन और प्रकृति की बेहत्तरी के लिए सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक बनाये रखती है। इसके साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिखाई जाने वाली अकादमी द्वारा निर्मित लघु फिल्मों से **यह सम्भव है** एवं **उम्मीद की लौ** से तम्बाकू सेवन की बुरी आदत के दुष्परिणामों को जानते हैं और राजस्थान पुलिस अकादमी को तम्बाकू मुक्त कार्य स्थल नीति बनाने के प्रयासों से स्वतः जुड़ते हैं। आम तौर पर सरकारी कार्यालय पान की पीक से बदरंग हुयी दीवारों, इधर–उधर फैले तम्बाकू, गुटके के पाउच और सिगरेट के बचे टुकडों से वहाँ कार्यरत कर्मचारियों की अनुशासनहीनता और बिगडैल कार्य संस्कृति की कहानी बयान करते हैं। इसके ठीक उलट 31 मई 2008 से निरन्तर तम्बाकू मुक्त कार्यस्थल नीति को अपने परिसर में लागू करने वाला राजस्थान पुलिस अकादमी का परिसर राज्य का पहला ऐसा सरकारी कार्यालय परिसर है जहाँ पुलिस प्रशिक्षुओं, कार्य करने वाले कर्मचारियों, आगुन्तकों एवं अतिथि व्याख्याताओं पर भी तम्बाकू मुक्त परिसर नीति लागू है।

आर.पी.ए. की इस तम्बाकू मुक्त कार्यस्थल नीति का चौतरफा लाभ हुआ है। इससे न केवल साफ–सुथरे माहौल में सरकारी विभाग में कार्य करना सुखद लगता है बल्कि परम्परागत पुलिस की छवि अब बदलेगी। अकादमी का हरा–भरा परिसर, अकादमी के 8 हॉस्टल का अनुशासित साफ–सुथरा परिसर, एवं पूर्व में तम्बाकू का शौक रखने वाले कर्मचारियों की अब इस आदत से मुक्ति, राजस्थान के 6 अन्य पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों द्वारा अपने यहाँ 1 जनवरी 2010 से स्वयं को तम्बाकू मुक्त कार्यक्षेत्र घोषित करना और कुछ अन्य सरकारी विभागों द्वारा अकादमी की इस श्रेष्ठ प्रक्रिया को लागू करना सीखना कुछ सार्थक परिणाम हैं। इन कार्यक्रमों को विस्तार देते हुये पुलिस प्रशिक्षु और आर.पी.ए. परिवार स्वेच्छा से सुखद बदलाव और श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के लिए हमेशा मुस्तैद रहेगा ऐसी आकांक्षा है।

अभिव्यक्ति का यह कारवां यू ही बढ़ता रहे – सदैव।

दीपक भार्गव
(सहायक निदेशक प्रशासन)

डा0 रूपा मंगलानी
(व्याख्याता)

पदौन्नति पर बधाई

श्री राजेन्द्र कमार पुलिस निरीक्षक से उप अधीक्षक पुलिस पद पर पदौन्नत हुए हैं। श्री कुमार ने वर्ष 1984 में उप निरीक्षक पुलिस पद पर इन्टेलीजेन्स शाखा में अपनी सेवाऐं प्रारम्भ की थी। आपने इन्टेलीजेन्स ब्रांच में रहते हुए केन्द्रीय पूछताछ केन्द्र/स्पेशल पुलिस स्टेशन पर जासूसों एवं आतंकवादियों से पूछताछ और ओ.एस. एक्ट के मामलों में अनुसंधान कार्य किया। आपकी निरीक्षक पुलिस पद पर पदौन्नति वर्ष 1997 में हुई। निरीक्षक पुलिस पद पर इन्टेलीजेन्स बांच में बोर्डर इन्टेलीजेन्स का कार्य एवं जयपुर शहर में यातायात निरीक्षक और जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन शाखा में प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया। राजस्थान पुलिस अकादमी में आपका पदस्थापन वर्ष 2004 से है। आप इन्टेलीजेन्स, सुरक्षा सम्बन्धी विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। आप विभिन्न कोर्सेज में कोर्स डायरेक्टर, जिसमें अकादमी में प्रथम बार पुलिस चण्डीगढ़ कानिस्टेबल रिक्रुट बैच भी शामिल है, का कार्य किया है। अनुशासन प्रिय श्री कुमार अच्छे स्पोर्टस मैन और अकादमी की अन्य गतिविधियों के प्रबन्धन में सक्रिय भागीदार रहे हैं। अकादमी परिवार श्री राजेन्द्र कुमार को उप अधीक्षक पुलिस पद पर पदोन्नति पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐं देता है।

श्री ओमप्रकाश पुलिस निरीक्षक से उप अधीक्षक पुलिस पद पर पदौन्नत हुए हैं। श्री ओमप्रकाश ने वर्ष 1978 में कानिस्टेबल के रूप में अपनी सेवाऐं प्रारम्भ की थी, तत्पश्चात् आप सीधी भर्ती से सहायक उप निरीक्षक इन्टेलीजेन्स वर्ष 1983 में तथा वर्ष 1985 में राजस्थान लोक सेवा आयोग से उप निरीक्षक पुलिस पद पर चयनित हुये। आपने संचित निरीक्षक पुलिस लाईन जयपुर ग्रामीण के रूप में सेवाऐं दी हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी में आपका पदस्थापन वर्ष 2008 से है। इससे पूर्व भी आप अकादमी में पदस्थापित रहे हैं। आप विभिन्न कोर्सेज में कोर्स डायरेक्टर के रूप में महत्ती भूमिका का निर्वाह करते रहे है। आपकी प्रबन्धकीय क्षमताऐं हमेंशा ही सराही गई हैं तथा आप अकादमी की अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदार रहे हैं। अकादमी परिवार श्री ओमप्रकाश को उप अधीक्षक पुलिस पद पर पदोन्नत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐं देता है।

श्री प्रभाती लाल ने अपनी सेवाऐं वर्ष 1986 में प्लाटून कमाण्डर के रूप में शुरू की थी तत्पश्चात् आप वर्ष 1997 में कम्पनी कमाण्डर के पद पर पदौन्नत हुये। आप लम्बे समय तक अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियन के स्टाफ अफसर के रूप में कार्यरत रहे हैं। आप वर्ष 2002 में एक वर्ष के लिए यू.एन. मिशन कोसोवो में अपनी सेवाऐं दे चुके हैं। अकादमी में आपने संचित निरीक्षक के रूप में अपनी सेवाऐं दी हैं तथा विभिन्न कक्षाओं में अध्यापन कार्य भी किया है। आपकी प्रबन्धकीय क्षमताऐं हमेंशा ही सराहनीय रही हैं। आप अकादमी की अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदार रहे हैं। अकादमी परिवार श्री प्रभाती लाल को उप अधीक्षक पुलिस पद पर पदौन्नति पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐं देता है।

श्री विशनाराम ने वर्ष 1985 में उप निरीक्षक के रूप में अपनी सेवाऐं शुरू की तत्पश्चात् वर्ष 1997 में निरीक्षक पुलिस पद पर पदोन्नत हुये। आपने जयपुर पुलिस लाईन तथा जयुपर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त यातायात में अपनी सेवाऐं दी हैं। वर्तमान में आप स्टोर प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। आप द्वारा अकादमी में अध्यापन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई गई। अकादमी परिवार श्री विशनाराम को उप अधीक्षक पुलिस पद पर पदोन्नति पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐं देता है।

श्री बनवारी लाल हैड कानिस्टेबल से प्लाटून कमाण्डर पद पर पदौन्नत हुए हैं। आपने अकादमी में माही एवं बनास हॉस्टल में मैस कमाण्डर के रूप में कार्य किया है। आपको पदोन्नति पर हार्दिक बधाई।

Editorial Board

Editor in Chief
Bhagwan Lal Soni, IPS, Director

Editor
Jagdish Poonia, RPS

Members
Deepak Bhargava (AD), Dr. Rameshwar Singh (AD),
Alok Srivastav (AD), Gyan Chandra (AD),
Kamal Shekhawat (AD)

Photographs By Sagar

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph.: +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : policeresearchrpa@yahoo.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Printed at : Shiva Offset, Jaipur # 0141-2365721